COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

---------------

Notification

24th January, 2019

Notification No. 66/2018 – State Tax

S.O. No. 9 Dated- 24th January, 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by a registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in FORM GSTR-7 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of October, 2018 to December, 2018 till the 31st day of January, 2019.

2. This notification shall be deemed to be effective from 29th November, 2018.

[File. No Va Kar / GST / 03/ 2018]

By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner
वाणिज्य-कर विभाग

--------------

अधिसूचना
24 जनवरी, 2019

अधिसूचना सं. 66/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 9 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- आयुक्त, ज्ञारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अक्टूबर से दिसंबर, 2018 के महिनों के लिए ज्ञारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन ज्ञारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी-7 में उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन विवरणी की समय-सीमा का विस्तार जनवरी, 2019 के 31वें दिन तक किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 29 नवंबर, 2018 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं. वाणिज्य-कर/जीएसटी/03/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त